

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम जमशेदपुर।

( महावीर मुर्मू

भूमि वापसी वाद संख्या :- 52/2021-22

—बनाम—

- 1) इलियस बोदरा
- 2) एगनेरा बोदरा

दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई										
22/03/2023	<p>आवेदक महावीर मुर्मू, पिता— स्व० दासमत मुर्मू, सा०—ग्राम—किताडीह, थाना—परसुडीह, जमशेदपुर, अंचल—जमशेदपुर, जिला— पूर्वी सिंहभूम, से अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी के लिए प्राप्त आवेदन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(A) के अधीन इस वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस वाद में 1) इलियस बोदरा, 2) एगनेरा बोदरा पिता—स्व० बैजामिन बोदरा, सा०— किताडीह, जमशेदपुर, जिला—पूर्वी सिंहभूम को विपक्षी बनाया गया है। इस वाद की प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है—</p> <p style="text-align: center;"><b>जमीन का विवरण</b></p> <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना नं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट नं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>किताडीह</td><td>1167</td><td>1</td><td>1027</td><td>01 डी०</td></tr></table> <p>उपरोक्त भूमि पर जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है। वादग्रस्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में मूल रूप में संलग्न है। अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के द्वारा अपने प्रतिवेदन में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि हाल सर्वे के अनुसार मौजा— किताडीह, थाना नं०—1167, खाता सं०—01, प्लॉट नं०—1027, रकबा— 01 डी० खतियानी रैयत हडिया माझी ई० के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। विपक्षी 1) इलियस बोदरा, 2) एगनेरा बोदरा पिता—स्व० बैजामिन बोदरा, सा०— किताडीह, जमशेदपुर, जिला—पूर्वी सिंहभूम भूमि पर अवैध कब्जा में है। उक्त भूमि को विपक्षी के द्वारा दखल कब्जा किया गया है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक—23.02.2023 को अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जो मूल रूप से अभिलेख में संलग्न है। विपक्षी के द्वारा दायर कारण पृच्छा में उल्लेख है कि —</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. That the present proceeding under Section 71-A, C.N.T Act is not maintainable both the law as well as on facts.</li><li>2. That the Applicant has no locus-stand to file the present Case.</li><li>3. That the land in proceeding is vague and indefinite According to notice issued on this Case, an area of 1 (One) decimal within Plot No. 1027, Khata No.1 in Mouza Kitadih, Thana No.1167, is the subject matter of the present Case. In present Survey Khatiyani, the area of proceeding Plot No.1027 is recorded as 0.07 Acre, i.e, 7 (Seven) decimal, Therefore, without any sketch map and specific boundaries the land in proceeding is completely vague and not executable at all, so on this ground alone the present proceeding is fit to be dismissed.</li><li>4. That the present Survey Khatiyani both Plot Nos. 1026 and in-law 1027, have been recorded in the possession of Benjamin bodra, since 1950, Therefore accordingly to Section 84(3) of C.N.T. Act there is strong presumption of correctness regarding possession of the Opposite Party's, since 1950, in this way the present proceeding initiated in the year 2021 after about 61 years is hopelessly barred by limitation, in this view of the matter also the present proceeding is fit to be dismissed.</li><li>5. That both the application of the applicant as well as the report of the Circle Officer is incorrect and not comprehensive. In view of the present Survey entry showing possession of Benjamin Bodra since 1950, it was incumbent on both the applicant as well as the Circle Officer's to clarify the following facts :-</li></ol>	मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकबा	किताडीह	1167	1	1027	01 डी०	
मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकबा								
किताडीह	1167	1	1027	01 डी०								

- c) In 1950, also the land was belonging to ancestor of the applicant and the details of the land according to survey recorded prevailing at that time viz. the survey plot number and Khata Number of the proceeding land as per previous survey i.e. the Recorded of Right published in 1937.
- d) When the Present survey record proves possession of the Opp. Party since the year 1950 as to when and how the Opposite Party or Benjamin Bodra was dispossessed report that the transfer/possession was about 10 years ago as mentioned in applicant's application particularly when the report of Circle Officer does not prescribe the date of transfer on possession in his report.
6. That therefore, the application filed by the applicant is dishonest with willful supersession of material fact even according to the khatian which is the basis of the case.
- Similarly, the report of the circle Officer reveals complete negligence in submission of the report. Moreover, there is vast difference of area of the proceeding land in the application of the and in the report of the Circle Officer.
7. That in view of the above facts it is crystal clear that neither the applicant nor the Circle Officer has come with clean hands in this Case, This itself is sufficient to dismiss the present case.
8. That according to Khatian of present survey the nature of the land is homestead land in view of its nature and possession of Opposite party and Benjamin bodra since 1950, the initiation of proceeding for restoration of land become barred by limitation long before enactment of Section 71A, C.N.T. Act (Schedule Area Regulation) which was enacted in the year 1969.
9. That therefore, in any view of the matter, the present proceeding is liable to be dismissed.

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने-अपने दावा के पक्ष में बहस को सुना। विपक्षी द्वारा अपना कारणपृच्छा सकागजात दाखिल किया गया है। आवेदक के ओर से Rejoinder दाखिल करने हेतु समय दिया गया परन्तु उन्होंने समर्पित नहीं किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख में संलग्न है। दस्तावेज का अवलोकन करने से तथा सन् 1964 के सर्वे से स्पष्ट है कि विपक्षी के पूर्वज बेंजामीन बोदरा पिता-राजा बोदरा का वाद में निहित भूमि पर अवैध दखल वर्ष 1950 से ही (दर्ज) है एवं 1964 के सर्वे में मकान-सहन अंकित है। साथ ही अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षी का मकान है। विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि वाद में निहित भूमि पर लगभग 73 वर्षों से आवेदक का दखल-कब्जा नहीं है। आवेदक के द्वारा 73 वर्ष के बाद भूमि वापसी वाद दायर किया गया है जो CNT ACT की धारा 230 के अंतर्गत लॉ ऑफ लिमिटेशन की धारा 65 लागू है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं दस्तावेज से स्पष्ट है कि वाद में निहित भूमि पर विपक्षी का सन् 1950 से अवैध दखल में है एवं सर्वे सन् 1964 में वादग्रस्त भूमि मकान-सहन/वास्तुबाड़ी (Home Stead Land) दर्ज है तथा लॉ ऑफ लिमिटेशन अंतर्गत है। फलस्वरूप धारा 71(A) CNT Act के प्रावधानों के तहत नहीं आता है। आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित  
22/3/20  
उपस्थित  
(अधिनियम के अंतर्गत)

लेखापित  
22/3/20  
उपस्थित  
(अधिनियम के अंतर्गत)